भारतसरकार Government of India
रेलमंत्रालय Ministry of Railways
रेलवेबोर्ड(Railway Board)

International Year of Cooperatives
2025
Cooperatives Build a Better World

RBA 19/2025

No.2025/ACII/20/12/e 3493745

Delhi , dated: 17.06.2025

PFAs

All Zonal Railway/PUs.

Sub: Holding of written examinations for departmental promotions in Computer Based Test (CBT) mode – Accounts Department reg.

Ref: Railway Board's letter no. E(NG)I / 2025/PM1/3 dated 05.03.2025 , 28.03.2025 and 26.05.2025.

****

Instructions were issued vide Board's letter no. E(NG)I / 2025/PM1/3 dated 05.03.2025 cancelling all the pending selections (within Group 'C'). Further, after taking into consideration the feedback received from Zonal Railways and the request of the Zones and staff side, it was decided to partially rescind the decision of cancellation of the selections where (i) examination conducted but result awaited (ii) examination conducted and result declared and (iii) examination conducted , result declared but panel not approved . Therefore, all such ongoing selections where written examination were conducted before 04.03.2025 were to be finalized.

2. References has been received from various Zonal Railway regarding applicability of the instructions issued vide letter dated 28.03.2025 for various examination conducted in Accounts department. In this regard, it has now been decided that for examinations conducted by the accounts department at the following stages **shall be finalized**:

2.a Examination conducted but result awaited

2.b Examination conducted and result declared

2.c Examination conducted, result declared but panel not approved

3. Further, instructions for holding of computer based written examinations for department promotions have been issued by E(N) dte. vide letter No. E(NG)I/2025/PM1/3 dtd. 26.05.2025. Accordingly, the following instructions are issued for holding departmental examinations for Accounts department in CBT mode through an Exam conducting agency(ECA)

3.a ECA will be engaged by Railway Recruitment Board. The details of the same will be issued in due course by E(RRB)

3.b The Computer based Test (CBT) may be conducted at Railway Board level/ Zonal Railway or through a Nodal Railway by an ECA on computer/Tablet mode.

3.c The Question paper Setter would be an appropriate authority as authorized by Board/PFA for various examinations as per extant rules and practices.

3.d The Question paper Objection Tracker and Result to be arranged by the examination conducting agency.

3.e The Nodal officer for coordination between Examination conducting agency and the administration shall be the Dy. CAO/G of the concerned Zonal Railway/Nodal Railway for

examination conducted at Zonal Railway/Nodal Railway level respectively, and DF/CCA for examination conducted by Railway Board (Appendix III).

4. A flow chart containing detailed activities for examination to be conducted in accounts department is enclosed (**Annexure A**).

5. Further, Instructions had been issued vide Board's letter no. 2006/ACII/20/2 (APPENDIX-2) dated 17.12.2019 (RBA No. 108/2019) regarding introduction of 80% Objective Type questions in Appendix II- IREM Examination. Also, instruction for Appendix IV examinations are laid down in Indian Railway Establishment Manual -I. It has now been decided that the pattern of Appendix II and Appendix IV IREM examination shall be as under:

(i) APPENDIX II-

In modification to Para 1 of Appendix II/ IREM-I, there shall be two 100% Objective mandatory papers for Appendix II (IREM) examination with the following syllabus:

a. Elementary Book keeping, English comprehension and reasoning.

b. General Rules and Procedure (Covering all areas i.e. Traffic accounts, General expenditure, Stores and workshop, Books and Budget etc.)

(ii) APPENDIX IV –

In modification to the existing provision (Appendix 4/ IREM-I) of a written paper and viva voce, the requirement of Viva-Voce for Appendix 4 is dispensed with.

a. A single paper (MCQ based) shall be held of 100 marks with minimum requirement of 40% for passing.

6. The Appendix II and IV IREM Examination shall be conducted through a single Nodal Railway twice in a year for a calendar cycle as per instructions contained in this letter. The Nodal Railway shall be decided by the Railway Board for each calendar year.

7. The examination calendar along with the details of Nodal Railway shall be issued separately.

Digitally signed by
Rajat Agarwal
Date: 17-06-2025
18:51:40

(Rajat Agarwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No.011- 23047018
Email id : rajat.agarwal91@gov.in

Annexure A

PROPOSED FLOW CHART FOR CONDUCTING EXAMINATIONS IN ACCOUNTS DEPARTMENT

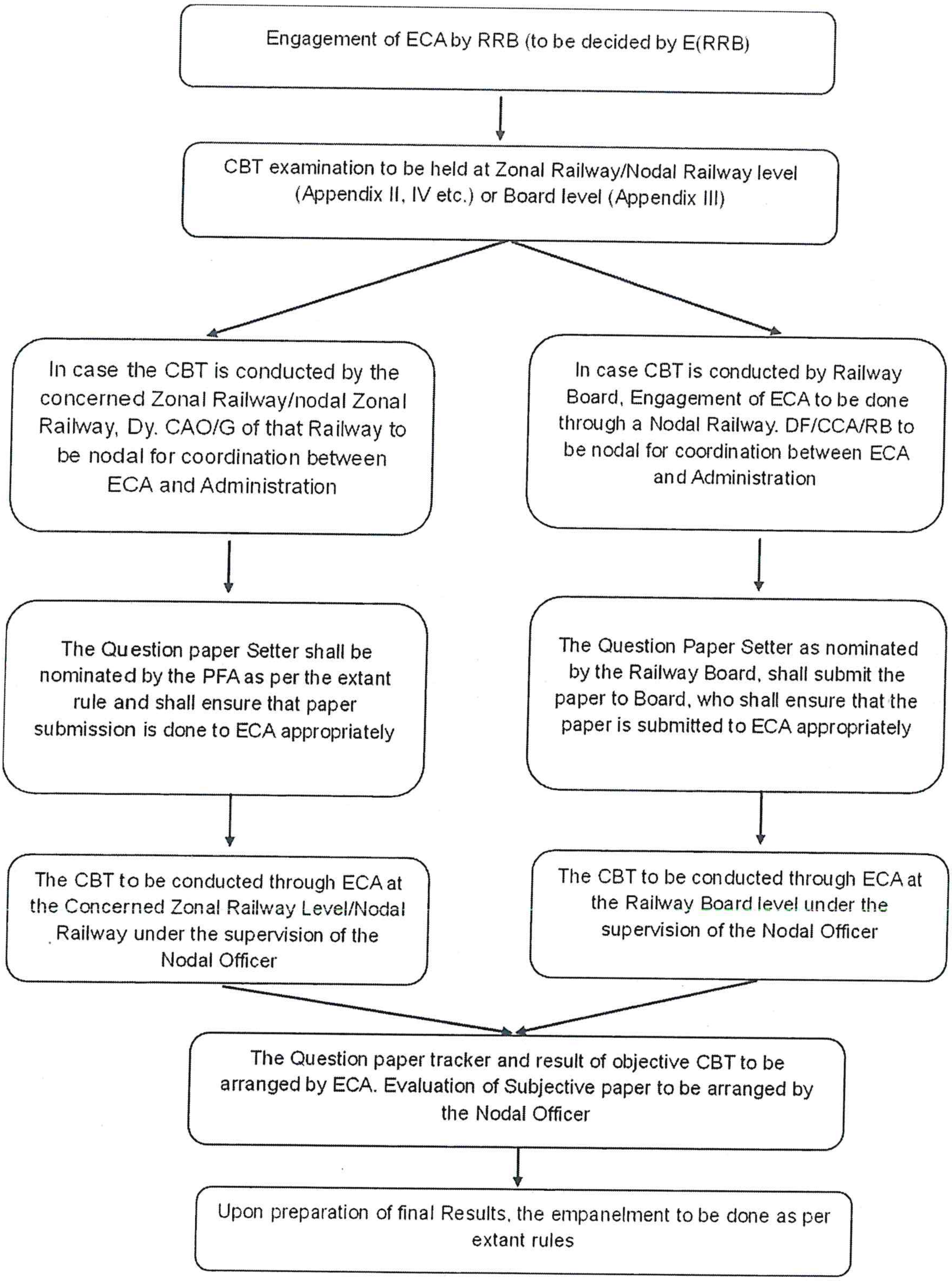

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आरबीए 19/2025

सं.2025/एसी-II/20/12/ई 3493745

दिल्ली, दिनांकः 17.06.2025

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषयः लेखा विभाग के संबंध में विभागीय पदोन्नति के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में लिखित परीक्षाओं का आयोजन।

संदर्भ: दिनांक 05.03.2025, 28.03.2025 और 26.05.2025 के रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी)I/2025/पीएम1/3.

****

बोर्ड के दिनांक 05.03.2025 के पत्र संख्या ई(एनजी)I/2025/पीएम1/3 के माध्यम से सभी लंबित चयन (समूह 'ग' के अंतर्गत) रद्द करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त फीडबैक और जोनों और कर्मचारी पक्ष के अनुरोध पर विचार करने के बाद, उन चयनों को रद्द करने के निर्णय को आंशिक रूप से रद्द करने का निर्णय लिया गया कि जहाँ (i) परीक्षा आयोजित की गई लेकिन परिणाम की प्रतीक्षा है (ii) परीक्षा आयोजित की गई और परिणाम घोषित किया गया और (iii) परीक्षा आयोजित की गई, परिणाम घोषित हुआ लेकिन पैनल को मंजूरी नहीं दी गई। इसलिए, चल रहे ऐसे सभी चयन जहाँ 04.03.2025 से पहले लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, उन्हें अंतिम रूप दिया जाना था।

2. लेखा विभाग में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए, विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से दिनांक 28.03.2025 के पत्र के तहत जारी निर्देशों की प्रायोज्यता के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में, अब यह निर्णय लिया गया है कि लेखा विभाग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए निम्नलिखित चरणों को अंतिम रूप दिया जायेगा:

2.क परीक्षा आयोजित की गई लेकिन परिणाम प्रतीक्षित है

2.ख परीक्षा आयोजित की गई और परिणाम घोषित किया गया

2.ग परीक्षा आयोजित की गई, परिणाम घोषित किया गया लेकिन पैनल को अनुमोदन नहीं दिया गया

3. इसके अतिरिक्त, विभागीय पदोन्नति के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षाओं के आयोजन करने के लिए निर्देश स्था.(अराज.) निदेशालय द्वारा दिनांक 26.05.2025 के पत्र संख्या ई(एनजी)I/2025/पीएम1/3 के तहत जारी किए गए हैं। तदनुसार, लेखा विभाग के लिए विभागीय परीक्षाओं के सीबीटी मोड में आयोजन के लिए परीक्षा आयोजित करने वाली एक एजेंसी (ईसीए) द्वारा निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए हैं-

3.क ईसीए को रेल भर्ती बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसका विवरण यथासमय ई(आरआरबी) द्वारा जारी किया जायेगा।

3.ख कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) रेलवे बोर्ड स्तर/ क्षेत्रीय रेलवे पर या नोडल रेलवे के माध्यम से ईसीए द्वारा कंप्यूटर/टैबलेट मोड पर आयोजित किया जा सकता है।

3.ग प्रश्न पत्र तैयार करने वाला एक उपयुक्त प्राधिकारी होगा जिसे बोर्ड/पीएफए द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिए मौजूदा नियमों और प्रथाओं के अनुसार अधिकृत किया गया जाएगा।

3.घ प्रश्न पत्र आपत्ति ट्रैकर और परिणाम की व्यवस्था परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी द्वारा की जायेगी।

3.ङ परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी और प्रशासन के बीच समन्वय के लिए नोडल अधिकारी क्रमशः संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/नोडल रेलवे स्तर पर आयोजित परीक्षा के लिए उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/जी. होंगे, और रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए वित्त निदेशक/पूंजी लागत और लेखा (डीएफ/सीसीए) होंगे (परिशिष्ट III).

4. लेखा विभाग में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए विस्तृत गतिविधियों वाला एक प्रवाह चार्ट, संलग्न है (अनुलग्नक क)।

5. इसके अतिरिक्त, (परिशिष्ठ-2) आईआरईएम परीक्षा में 80% वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को शामिल करने के संबंध में बोर्ड के दिनांक 17.12.2019 के पत्र संख्या 2006/एसीII/20/2 (परिशिष्ठ-2) (आरबीए संख्या 108/2019) के तहत निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही, परिशिष्ठ IV परीक्षाओं के लिए निर्देश भारतीय रेल की स्थापना मैनुअल-I में दिए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि परिशिष्ठ II और परिशिष्ठ IV आईआरईएम परीक्षा का पैटर्न निम्नानुसार होगा :

<u>(i) परिशिष्ट II-</u>

परिशिष्ट II/ आईआरईएम-I के पैरा 1 में आशोधन करते हुये, परिशिष्ट II (आईआरईएम) परीक्षा के लिए दो 100% वस्तुनिष्ठ अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे, जिनका पाठ्यक्रम निम्नलिखित होगा:

क. प्राथमिक बही खाता, अंग्रेजी समझ और तर्क।

ख. सामान्य नियम और प्रक्रिया (यातायात खाते, सामान्य व्यय, भंडार और कार्यशाला, पुस्तकें और बजट आदि जैसे सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए)।

<u>(ii) परिशिष्ट IV-</u>

लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के मौजूदा प्रावधान (परिशिष्ट 4/ आईआरईएम-I) में संशोधन करते हुये, परिशिष्ट 4 के लिए मौखिक परीक्षा की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

क. 100 अंकों की एकल परीक्षा (बहुविकल्पीय प्रश्न) का आयोजन किया जाएगा जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% की आवश्यकता होगी।

6. आईआरईएम के परिशिष्ट II और IV की परीक्षा इस पत्र में दिए गए अनुदेशों के अनुसार एक कैलेंडर चक्र के लिए एक वर्ष में दो बार एक नोडल रेलवे के माध्यम से आयोजित की जाएगी। प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए नोडल रेलवे, रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

7. नोडल रेलवे के विवरण के साथ परीक्षा कैलेंडर को अलग से जारी किया जाएगा।

(रजत अग्रवाल)
संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)
रेलवे बोर्ड
दूरभाष सं. 011-23047018
ई मेल आईडीः rajat.agarwal91@gov.in

अनुलग्नक क

लेखा विभाग में परीक्षा आयोजित करने के लिए फ्लो चार्ट

आरआरबी द्वारा परीक्षा संचालन एजेंसी (ईसीए) की नियुक्ति
(ई(आरआरबी) द्वारा निर्णय लिया जाएगा)

↓

सीबीटी परीक्षा, क्षेत्रीय रेलवे/नोडल रेलवे स्तर (परिशिष्ट II, IV आदि) या बोर्ड स्तर (परिशिष्ट III) पर आयोजित की जाएगी

- यदि सीबीटी का संचालन संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/नोडल क्षेत्रीय रेलवे द्वारा किया जाता है, तो उस रेलवे के उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/जी ईसीए और प्रशासन के बीच समन्वय के लिए नोडल होंगे
  - ↓ प्रश्नपत्र सेटर को मौजूदा नियम के अनुसार (प्रधान वित्त सलाहकार) द्वारा नामित किया जाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पेपर ईसीए को उचित तरीके से प्रस्तुत किया जाए
  - ↓ सीबीटी का संचालन नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में संबंधित क्षेत्रीय रेलवे स्तर/नोडल रेलवे पर ईसीए के माध्यम से किया जाएगा

- यदि सीबीटी रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ईसीए की नियुक्ति नोडल रेलवे के माध्यम से की जाएगी। ईसीए और प्रशासन के बीच समन्वय के लिए निदेशक वित्त/सीसीए/रेलवे बोर्ड नोडल होंगे
  - ↓ रेलवे बोर्ड द्वारा नामित प्रश्न-पत्र सेटर बोर्ड को पेपर प्रस्तुत करेगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पेपर ईसीए को उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है
  - ↓ सीबीटी का आयोजन नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में रेलवे बोर्ड स्तर पर ईसीए के माध्यम से किया जाएगा

↓

प्रश्न पत्र ट्रैकर और वस्तुनिष्ठ सीबीटी के परिणाम की व्यवस्था ईसीए द्वारा की जाएगी। व्यक्तिपरक पेपर का मूल्यांकन की नोडल अधिकारी दवारा किया जाएगा

↓

अंतिम परिणाम तैयार होने पर, मौजूदा नियमों के अनुसार पैनल बनाया जाएगा